लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ,

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक (संख्या: 05/2026) दिनांक 18-05-2026 का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहें

1.	प्रो0 जय प्रकाश सैनी, कुलपति		अध्यक्ष
2.	प्रो0 अरविन्द मोहन, संकायाध्यक्ष, कला संकाय		सदस्य
3.	प्रो0 संगीता साहू, संकायध्यक्ष, प्रबन्ध संकाय	**(ऑन लाइन माध्यम)**	सदस्य
4.	प्रो0 विवेक सहाय,		सदस्य
5.	प्रो0 मनुका खन्ना	**(ऑन लाइन माध्यम)**	सदस्य
6.	प्रो0 बबिता जायसवाल		सदस्य
7.	प्रो0 शिव गोविन्द पुरी		सदस्य
8.	प्रो0 हरिनारायण प्रसाद		सदस्य
9.	प्रो0 मुनेश कुमार		सदस्य
10.	डॉ0 अजय प्रकाश		सदस्य
11.	डॉ0 अलका मिश्रा		सदस्य
12.	डॉ0 सुशील कुमार		सदस्य
13.	डॉ0 मंजुला उपाध्याय, प्रधानाचार्या		सदस्य
14.	डॉ0 भावना मिश्रा, कुलसचिव		पदेन सचिव
15.	श्री विद्या नन्द त्रिपाठी, परीक्षा नियन्त्रक		विशेष आमन्त्रित

बैठक के आरम्भ में कुलसचिव/सचिव, कार्य परिषद द्वारा माननीय कुलपति एवं समस्त मा0 कार्य परिषद सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात अध्यक्ष/कुलपति जी की अनुमति से कुलसचिव/सचिव, कार्य परिषद द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

बैठक की कार्यवाही

विनिश्चय संख्या 2026/05/01:- दिनांक 14.05.2026 की रात्रि में प्राणि विज्ञान विभाग के असिस्टेन्ट प्रोफेसर डॉ0 परमजीत सिंह एवं एक छात्रा के मध्य मोबाईल फोन पर हुए अशोभनीय वार्तालाप के तीन आडियो प्राप्त होने पर प्रकरण को आन्तरिक शिकायत प्रकोष्ठ को सन्दर्भित किया गया। प्रकरण पर आई0सी0सी0 द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या का सीलबंद लिफाफा मा0 कार्य परिषद के समक्ष अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

प्रकरण पर शिकायत प्रकोठ द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या का सीलबंद लिफाफा मा0 कार्य परिषद के समक्ष खोला गया। कार्य परिषद द्वारा प्रकरण के गम्भीर प्रकृति का होने के दृष्टिगत डॉ0 परमजीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राणि विज्ञान विभाग द्वारा छात्रा से अशोभनीय एवं कदाचार युक्त प्रलोभनकारी कथन कहे गयें हैं साथ ही परीक्षा प्रश्नपत्रों को संदर्भित छात्रा को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रश्न पत्र आउट कराये जाने का कथन भी कहा गया है। जिससे प्रकरण अति गम्भीर प्रकृति का स्पष्ट हो रहा है।

उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के सेक्शन 49 के बिन्दु 8.10 (1) में विहित प्राविधानान्तर्गत मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण की सघन जॉच हेतु निम्नवत अनुशासनात्मक समिति के गठन का निर्णय लिया गया:—

Bhavna
18/05/2026

1. मा0 कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. प्रो0 रचना श्रीवास्तव, प्राचार्य, ए0पी0सेन महाविद्यालय, लखनऊ।
3. प्रो0 आनन्द विश्वकर्मा, विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अग्रेतर यह भी निर्णय लिया गया कि,"चूँकि प्रकरण गोपनीयता एवं शुचिता से जुड़ा हुआ है। अतः समिति को विशेष परिस्थितियों में 24 घण्टे में अपनी अंतरिम आख्या प्रस्तुत किये जाने का निर्णय भी लिया गया, जिससे प्रकरण पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सम्पादित की जा सकें।

- विश्वविद्यालय की शुचिता एवं गरिमा को बनाये रखने एवं स्वस्थ वातावरण निर्मित किये जाने हेतु मा0 कुलपति/अध्यक्ष, कार्य परिषद द्वारा भविष्य में लखनऊ विश्वविद्यालय एवं उससे संबद्ध महाविद्यालयों में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए पीठासीन अधिकारी (ICC) को निम्नवत निर्देशित किए जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. विश्वविद्यालय में प्रमुख स्थानों पर स्थायी **Display Board** लगाकर पीठासीन अधिकारी का **email-id** एवं **Whatsapp** नम्बर प्रदर्शित किया जाए।
2. प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
3. शिकायतों के निस्तारण की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए।
4. छात्राओं/महिला कर्मचारियों के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों, सेमिनार, कार्यशालाओं इत्यादि का वार्षिक कलैण्डर तैयार कर उसी के अनुरूप कार्यक्रम निर्धारित किए जाए।
5. लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के पीठासीन अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए।
6. विश्वविद्यालय द्वारा तैयार वार्षिक कलैण्डर एवं कार्य योजना सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्रेषित कर उसी के अनुरूप निर्धारित तिथियों में सम्बद्ध महाविद्यालयों मे कार्यक्रम निष्पादित किए जाए।
7. सम्बद्ध महाविद्यालयों में भी स्थायी **Display Board** लगाकर उनके पीठासीन अधिकारी के **email-id** एवं **Whatsapp** नम्बर प्रदर्शित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उक्त का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्पश्चात कुलपति/अध्यक्ष, कार्य परिषद की अनुमति से कुलसचिव/सचिव, कार्य परिषद द्वारा समस्त मा0 कार्य परिषद सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

कुलसचिव 18/05/2026

अनुमोदित

कुलपति 18/5/26